बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
आदेश

संचिका सं0–12 / वि0–232 / 2024– पटना, दिनांक–

विषयः फर्म M/S Intergen Energy Limited, 6th Floor, Pavilion Building, 339/1Mehrauti, Gurgaon Road, Sector-14, Gurgaon, Pin-122002, e-mail - hk@igenergy.in (सूचीबद्धता संख्या–61 / 2017) को लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बांका अंतर्गत 'हर घर नल का जल' निश्चय योजना के तहत जलापूर्त्ति योजनाओं के निर्माण एवं पाँच वर्षो के रख–रखाव में लापरवाही के लिए फर्म को काली सूची में दर्ज करने हेतु निर्गत आदेश को निरस्त करने के संबंध में।

फर्म M/S Intergen Energy Pvt. (सूचीबद्धता संख्या–61 / 2017) को लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बांका अंतर्गत 'हर घर नल का जल' निश्चय योजना के तहत जलापूर्त्ति योजनाओं के निर्माण एवं पाँच वर्षो के रख–रखाव में लापरवाही के लिए क्षेत्रीय मुख्य अभियंता भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर के प़त्रांक–1104, दिनांक–19.12.24 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के संगत प्रावधानों के तहत फर्म के निबंधन को विभागीय प़त्रांक–191, दि0–03.02.26 से 03 वर्षो के लिए काली सूची में दर्ज करने का निर्णय लिया गया।

2. एजेंसी द्वारा उक्त कालीकरण आदेश के विरुद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली–2007 के प्रावधानों के अधीन अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष अपील दायर किया गया। अपील की सुनवाई दिनांक–24.02.2026 को संवेदक की उपस्थिति में की गयी। सुनवाई में संबंधित कार्यपालक अभियंता के द्वारा V.C के माध्यम से भाग लिया गया।

3. सुनवाई के क्रम में एजेंसी द्वारा यह अवगत कराया गया कि उक्त योजनाओं अंतर्गत आवंटित कार्यो को सम्यक रूप से किया जा रहा है। साथ ही इस तथ्य से भी अवगत कराया गया कि उनके द्वारा योजना अंतर्गत सभी बकाया विद्युत विपत्र एवं पम्प ऑपरेटर के मानदेय का भुगतान कर दिया गया है। कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बांका के द्वारा भी उक्त तथ्य की पुष्टि की गयी तथा यह बताया गया कि अधिकांश बकाया विद्युत विपत्र का भुगतान एजेंसी के द्वारा कर दिया गया है एवं आंशिक रूप से बचे विपत्रों का भुगतान एक सप्ताह के अंदर कर दिया जायेगा।

4. एजेंसी के अपील अभ्यावेदन एवं कार्यपालक अभियंता के उपर्युक्त अभिकथनों की समीक्षोपरांत M/S Intergen Energy Limited, (सूचीबद्धता संख्या–61 / 2017), को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका–11 क (II) के आलोक में मुख्य अभियंता (रूपांकण) के आदेश ज्ञापांक–-191, दिनांक–03.02.2026 द्वारा 03 वर्षो के लिए निर्गत कालीकरण आदेश को set-aside किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह0 / –
(पंकज कुमार पाल)
सचिव

Black List Office Order

ज्ञापांक–12/वि0–232/2024– 346 पटना, दिनांक– 24.2.26

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/बुडको, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

24.02.26

(अभय कुमार सिंह)

मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक–12/वि0–232/2024– 346 पटना, दिनांक– 24.2.26

प्रतिलिपि–अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय)/सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/आई0 टी0 मैनेंजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0 टी0 मैनेंजर को निदेश है कि इसे विभागीय वेवसाईट पर अपलोड किया जाय।

24.02.26

(अभय कुमार सिंह)

मुख्य अभियंता (रूपांकण)

Speed Post

ज्ञापांक–12/वि0–232/2024 –346 पटना, दिनांक– 24.2.26

प्रतिलिपि–कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बांका/ **फर्म** M/S Intergen Energy Limited, 6th Floor, Pavilion Building, 339/1Mehrauti, Gurgaon Road, Sector-14, Gurgaon, Pin-122002, e-mail - hk@igenergy.in (सूचीबद्धता संख्या–61/2017) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.02.26

(अभय कुमार सिंह)

मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक–12/वि0–232/2024 –346 पटना, दिनांक– 24.2.26

प्रतिलिपि–सचिव के प्रधान आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

24.02.26

(अभय कुमार सिंह)

मुख्य अभियंता (रूपांकण)

Black List Office Order